उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
हरिद्वार
पिन कोड– 249404

संख्या :: 229/25/E-1/DR/RO/ARO/ACCOUNT/2023-24 **दिनाँक :: 23 अक्टूबर, 2024**

विस्तृत विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड सचिवालय/उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, समीक्षा अधिकारी (लेखा)/ सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) परीक्षा–2024

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड सचिवालय/उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, समीक्षा अधिकारी (लेखा)/सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) परीक्षा–2024 के अन्तर्गत रिक्त 06 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या A-1/E-1/DR/2024-25, दिनांक 27 सितम्बर, 2024 के सापेक्ष पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन दिनांक 17 अक्टूबर, 2024 तक आंमत्रित किये गये थे।

2. उक्त विज्ञापन के **अति महत्वपूर्ण निर्देश के बिन्दु सं0–08** के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 17.10.2024 तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर प्रदान करते हुये अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गयी प्रविष्टियों में संशोधन/परिवर्तन **(Edit/Correction)** किये जाने हेतु केवल एक बार के लिए आयोग की वेबसाइट **psc.uk.gov.in** पर **Online Edit Window** लिंक **दिनांक 25 अक्टूबर 2024 से 03 नवम्बर, 2024 (रात्रि 11 : 59 : 59 बजे तक)** तक खोला जाना प्रस्तावित है, जिसके संबंध में आई0 टी0 अनुभाग से प्राप्त दिशा–निर्देश निम्नवत् हैः–

(i) ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात् 05 कार्यदिवस के उपरांत **Edit/Correction** का लिंक खोला जाएगा।

(ii) Edit/Correction हेतु उक्त लिंक की समयावधि 10 दिन होगी।

(iii) जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की है, केवल वह अभ्यर्थी ही अपने ई–मेल आई0डी0 एवं पासवर्ड से लॉग–इन कर पायेंगे।

(iv) लॉग–इन करने के पश्चात् अभ्यर्थी शर्तानुसार अपने भरे हुए डाटा में **(मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल आई0डी0 को छोड़कर)** आवश्यकतानुसार संशोधन कर पायेंगे।

(v) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में **Edit/Correction** की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी, उसके पश्चात् ही आवेदन पत्र में डाटा **Update** हो सकेगा।

(vi) Edit/Correction की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् **Edited Data** ही अंतिम माना जायेगा।

(vii) अभ्यर्थी द्वारा श्रेणी/उपश्रेणी में परिवर्तन किये जाने पर अभ्यर्थियों को परिवर्तित श्रेणी/उपश्रेणी का शुल्क विज्ञापन की शर्तो के अनुसार देय होगा, किन्तु अगर अभ्यर्थी केवल ऐसी उपश्रेणी (डी0एफ0एफ0/उ0म0 इत्यादि) में बदलाव करता है जिससे शुल्क में कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो उस उपश्रेणी में बदलाव का कोई शुल्क देय नही होगा। अभ्यर्थी को अन्य प्रविष्टियों में परिवर्तन/त्रुटि सुधार करने पर कोई शुल्क देय नहीं होगा।

(viii) अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में दिये गये शुल्क को रिफंड नहीं किया जाएगा।

(ix) इस संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त **संशोधन/परिवर्तन (Edit/Correction)** के अंतिम अवसर के उपरान्त किसी भी दशा में अभ्यर्थी को उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित की गयी किसी भी प्रविष्टियों/दावों को संशोधित/परिवर्तित करने के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

-Sd-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।